यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप-निबंधकक प्रथम, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप-निबंधकक प्रथम, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय सिंह, ले.प. एवं श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.05.2018 से 21.05.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 10.05.2017 से 20.05.2017 तक श्री अशोक कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह ------- से --------- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - सदर तहसील देहरादून पंजीकरण।

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	4916.27
2016-17	3992.86
2017-18	4253.67

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16								
2016-17					शून्य			
2017-18								

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
ऐसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव

महानिरीक्षक निबन्धन

अपर महानिरीक्षक निबन्धक

जिला निबन्धक

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन

व्यैक्तिक सहायक

मुख्य निबन्धन लिपिक

अनुसेवक

उप-निबंधकक

निबन्धन लिपिक

अनुसेवक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय उप-निबंधकक प्रथम, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उप-निबंधकक प्रथम, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर सं० 1 : स्टांप शुल्क की कम वसूली ₹ 0.25 लाख।

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा निर्गत मूल्यांकन दर सूची के सामान्य अनुदेशिका के ए(20) टीनपोश भवन के निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण का लाभ अधिकतम 25 वर्ष देय होगा।

कार्यालय उप निबंधक प्रथम देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक की लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं० 1, जिल्द 7151 क्रमांक 1947 दिनांक 09.06.2017 के विलेख में संलग्न मानचित्र में टीनपोश एवं कुछ भाग में लेनटरपोश दर्शाया गया है, एवं भवन का निर्माण 100 वर्ष पुराना अंकित किया है। जबकि क्षरण का लाभ निर्माण के सम्पूर्ण भाग को लेनटरपोश मानकर गणना कि गयी है जो कि नियमानुसार नहीं है। इसलिए उक्त विलेख कि गणना निम्न अनुसार है:

भूमि की कीमत : 134.61 वर्ग मी० x रु 50,000 =₹ 67,30,500/-

15 % वृद्धि के साथ : ₹ 77,40,075/-

टीनपोश का निर्माण : 134.61 वर्ग मी० x ₹ 12,000X 0.777 = ₹ 12,55,104/-

कुल कीमत : ₹ 89,75,179/-

देय स्टांप शुल्क (5% कि दर से): ₹ 4,49,759/- (89,75,179X 5%)

जमा स्टांप शुल्क : ₹ 4,25,000/-

अंतरीय स्टांप शुल्क : ₹ 24,759/- (4,49,759 -4,25,000)

इस प्रकार उक्त विलेख में ₹ 24,759/- की स्टांप शुल्क की कमी हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत स्टांप शुल्क की कमी की वसूली हेतु संदर्भित किया जाएगा ।

अत: ₹ 24,759/- की स्टांप कमी का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं० 1 : स्टांप शुल्क की कम वसूली ₹ 0.68 लाख।

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा निर्गत मूल्यांकन दर सूची के सामान्य अनुदेशिका के ए(1) एवं बी(4) विलेख में वर्णित/संपत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/बंदोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, संपत्ति के चिन्हिकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा आंतरित भूमि /संपत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी मापसहित एवं क्षेत्र के प्रमुख / मुख्य मार्गो से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

कार्यालय उप निबंधक प्रथम देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक की लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं० 1, जिल्द 7337 क्रमांक 508 दिनांक 12.02.2018 के विलेख में दर्शाई गयी चौहद्दी में कोई मार्ग अंकित नहीं है एवं विलेख में मार्ग न होने का कोई उल्लेखनहीं किया गया है। जिसके कारण भूखंड की आंकलित कीमत को सही स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यूनतम 5 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग की दशा में भूखंड की कीमत में 5% की वृद्धि के पश्चात भूमि का मूल्यांकन की राशि ₹ 3,63,62,655/- पर देय स्टांप शुल्क निम्न प्रकार है :

कुल देय स्टांप शुल्क : ₹ 18,18,132 (रु 3,63,62,655X 5%)

जमा स्टांप शुल्क : ₹ 17,50,000/-

अंतरित स्टांप शुल्क : ₹ 68,132/-

इस प्रकार उक्त विलेख में ₹ 68,132/- की स्टांप शुल्क की कमी हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण हेतु संदर्भित किया जाएगा, तत्पश्चात स्टांप शुल्क की कमी पायी गयी तो वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अत: ₹ 68,132/- की स्टांप कमी का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर सं० 2 : स्टांप शुल्क की कम वसूली ₹ 7,625

जिलाधिकारी देहरादून द्वारा निर्गत मूल्यांकन दर सूची के सामान्य अनुदेशिका के क्षरण सारणी के अनुसार 5 वर्ष पुराने निर्माण का क्षरण गुणांक 0.950 है।

कार्यालय उप निबंधक प्रथम देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बही सं० 1, जिल्द 7329 क्रमांक 370 दिनांक 29.01.2018 के विलेख में क्षरण का लाभ त्रुटिपूर्ण दिये जाने के कारण ₹ 7625/- स्टांप कमी हुई थी जिसकी गणना निम्न अनुसार है:

भूमि का मूल्यांकन: 105.52 वर्ग मी० X ₹ 14,000 = ₹ 14,77,280/- पूर्णांक =14,78,000/-

निर्माण भूतल: 62.42 वर्ग मी० X 12,000 X0.731(क्षरण गुणांक 31 वर्ष) = ₹ 5,48,000/-

निर्माण प्रथम तल : 59.78 वर्ग मी० X 12,000 X 0.950(क्षरण गुणांक 5 वर्ष)= ₹ 6,81,500/-

कुल कीमत: ₹ 27,07,500/-

देय स्टांप शुल्क = ₹ 25,00,000 X 3.75% = ₹ 93,750/- (महिला छूट के कारण)

2,07,500 X 5% = 10,375/-

कुल देय स्टांप शुल्क = ₹ 1,04,125/-

जमा स्टांप शुल्क = ₹ 96,500/-

अंतरीय स्टांप शुल्क = ₹ 7,625

इस प्रकार उक्त विलेख में ₹ 7,625/- की स्टांप शुल्क की कमी हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विलेख कमी स्टांप वसूली हेतु संदर्भित किया जाएगा ।

अत: ₹ 7,625/- की स्टांप कमी का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रारम्भ की स्थिति		निस्तारण		अवशेष	
	2 क	2 ब	2 क	2 ब	2 क	2 ब

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
	शून्य		

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उप-निबंधकक प्रथम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री आर.टी.मिश्रा	उप-निबंधकक प्रथम दहरादून (विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उप-निबंधकक प्रथम, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र